

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 22.10.2024\***

**\*दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता राजकुमार पुत्र मंगरु निवासी बस्ती बस्ता थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-** उ0नि0 श्री अभिय फाण्डेय, हे0का0 जय कन्नौजिया।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार\***

● **\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा\*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 6005 द्वारा सड़क मार्ग में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल-\*** पीआरवी 6005 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कमरिया चौराहा से इवेंट सं0 46442 से कालर कालर कौषर अली ने मो0न0 9839879736 से सड़क मार्ग में दो पहिया वाहन अनियंत्रित होकर गिर जाने से 01 व्यक्ति (1- रामसजीवन पुत्र परषु, ग्राम भटौरा, थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**\*पीआरवी स्टाफ-\*** का0 राजकुमार, हे0का0चा0 राजनाथ यादव।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनों से 70,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 22.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनों से 70,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।